

छावनी बोर्ड की साधारण बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त 31-12-2023 को दोपहर 13:00 बजे छावनी बोर्ड के कार्यालय सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम के आयोजित किया गया।

उपस्थित सदस्य

1. ब्रिग. एसडीए रिज़वी, वीएसएम, अध्यक्ष
2. श्री. सी दिनेश कुमार रेड्डी, सदस्य सचिव
3. श्री. पी ए गुना, मनोनीत सदस्य

1. नोटिंग

अ. परिपत्र द्वारा एजेंडा संकल्प दिनांक 06-12-2022

दिनांक 06-12-2023 के परिचालन द्वारा मसौदा संपत्ति का तीन संपत्तियों में उपविभाजित करने संबंधी अजेन्ड संकल्प को नोट करना।

संकल्प सं 1(अ): नोट किया गया और अनुमोदित।

आ. परिपत्र द्वारा एजेंडा संकल्प दिनांक 08-12-2022

दिव्यांग अभ्यर्थियों (पीएच) वर्ग के लिए अलग रोस्टर तैयार करने पर परिचालन दिनांक 08-12-2022 द्वारा एजेंडा रिजॉल्यूशन नोट करने।

संकल्प संख्या 1 (आ): नोट किया गया और अनुमोदित।

इ. परिपत्र द्वारा एजेंडा संकल्प दिनांक 20-12-2022

सेंट थॉमस माउंट कम पल्लावरम छावनी के ड्राफ्ट बिल्डिंग बाय-लॉज, 2022 पर दिनांक 20-12-2022 के प्रचलन द्वारा एजेंडा संकल्प को ध्यान में रखना।

संकल्प संख्या 1 (इ): नोट किया गया और अनुमोदित।

2. श्री ए एन इरशाद अहमद , अपर डिविशन क्लर्क को अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री ए एन इरशाद अहमद यूडीसी आवेदन करने और सरकारी परीक्षाओं और कौशल परीक्षाओं में भाग लेने के लिए नापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने पर विचार और अनुमोदन करना।

क्रम सं	परीक्षा का नाम	आयोजित
1.	ग्रुप IA सेवाओं में शामिल सहायक वन संरक्षक	तमिलनाडु लोक सेवा आयोग
2.	तमिलनाडु सचिवालय सेवा में सहायक अनुभाग अधिकारी समूह VA सेवाओं में शामिल	तमिलनाडु लोक सेवा आयोग

इस संबंध में संबंधित दस्तावेज पटल पर रखे गए हैं।

बोर्ड स्वीकृति दे सकता है।

संकल्प संख्या 2: श्री इरशाद अहमद, यूडीसी तमिलनाडु लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जा रही ग्रुप-वीए सेवाओं में शामिल समूह आईए सेवाओं में शामिल सहायक वन संरक्षक और टीएन सचिवालय सेवा में सहायक अनुभाग अधिकारी के पद के लिए आवेदन करने और परीक्षा में शामिल होने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

3. डॉ जे थारापरवीन, सहायक के आधार पर चिकित्सा अधिकारी (सिद्ध) की सेवाओं की नियुक्ति अनुबंध

ग्यारह महीने (या) जब तक जीईएम पर सेवा उपलब्ध नहीं हो जाती, जो भी पहले हो, अनुबंध के आधार पर डॉ. जे. थारा परवीन, सहायक चिकित्सा अधिकारी (सिद्ध) की नियुक्ति पर विचार करना और अनुमोदन करना।

डॉ. जे. थारा परवीन को रुपये के मानदेय पर अनुबंध के आधार पर सहायक चिकित्सा अधिकारी (सिद्ध) के रूप में नियुक्त किया गया है। 30,000/- प्रति माह और वह 28.08.2014 को सीबीआर संख्या 05 दिनांक 16.04.2014 को इयूटी में शामिल हुई थी। इसके अलावा, संविदा के आधार पर उनकी नियुक्ति का विवरण नीचे दिया गया है: -

क्रमसं	प्राधिकरण	मानदेय	टिप्पणी
1.	CBR No. 06 dated 16.07.2015	Rs. 30,000/-	11 महीने के लिए लगे हुए हैं।
2.	CBR No. 09 dated 08.07.2016	Rs. 40, 000/-	11 महीने के लिए और मानदेय रु30000 से रु 40000 बढ़ा लगे।

3.	CBR No. 02 dated 31.05.2017	Rs. 40,000/-	11 महीने के लिए लगे हुए हैं।
4.	CBR No. 02 dated 23.04.2018	Rs. 40,000/-	11 महीने के लिए लगे हुए हैं।
5.	CBR No. 04 dated 21.02.2019	Rs. 40,000/-	11 महीने के लिए और मानदेय रु 40000 से रु 45000 बढ़ा लगे।
6.	CBR No. 03 dated 24.01.2020	Rs. 48,720/-	11 महीने के लिए और मानदेय रु 45000 से रु 48720 बढ़ा लगे।
7.	CBR No. 02 dt. 22.01.2021	Rs. 48,720/-	11 महीने के लिए लगे हुए हैं। w.e.f. 03.02.2021
8.	CBR No.01 dated 23.02.2021	Rs. 48,720/-	11 महीने के लिए लगे हुए हैं। w.e.f. 03.02.2021
9.	CBR No. 26 Dated 31.12.2021	Rs.48,720/-	11 महीने के लिए लगे हुए हैं। w.e.f. 03.02.2021

अनुबंध की अवधि 03.01.2023 को समाप्त होगी। सेंट थॉमस माउंट और पल्लवरम के छावनी अस्पतालों में नियमित सिद्ध बाह्य रोगियों की देखभाल के लिए उनकी सेवाओं की आवश्यकता है। व्यक्ति भी बोर्ड के साथ काम करने में रुचि रखता है। यह देखा गया है कि जीईएम पोर्टल में एएमओ (सिद्ध) का पद उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में GeM से प्राप्त NAC बोर्ड के संदर्भ के लिए संलग्न है। इसलिए यह प्रस्ताव है कि डॉ. जे. थारा प्रवीण को ग्यारह महीने (या) जब तक कि जीईएम पर उक्त सेवा उपलब्ध नहीं कराई जाती है, जो भी पहले हो, प्रभावी 06.01.2023 तक लगाया जा सकता है।

इस संबंध में संबंधित दस्तावेज पटल पर रखे गए हैं।

बोर्ड स्वीकृति दे सकता है।

संकल्प सं 3: 06.02.2023 (या) से ग्यारह महीने के लिए अनुबंध के आधार पर डॉ. जे. थारा परवीण, सहायक चिकित्सा अधिकारी (सिद्ध) की नियुक्ति पर विचार किया और अनुमोदित किया, जब तक कि सेवा जीईएम पर उपलब्ध नहीं हो जाती, जो भी हो पहले, समान मानदेय रु. 48,720/- प्रति माह पर।

4. डॉ की सेवाओं की नियुक्ति पी. देवी, सहायक चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) अनुबंध के आधार पर।

ग्यारह महीने (या) जब तक जीईएम पर सेवा उपलब्ध नहीं हो जाती, जो भी पहले हो, अनुबंध के आधार पर डॉ. पी.देवी, सहायक चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) की नियुक्ति पर विचार करना और अनुमोदन करना।

डॉ. पी. देवी को सहायक चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) के रूप में अनुबंध के आधार पर 500 रुपये के मानदेय पर लगाया गया है। 30,000 / - प्रति माह और वह 28.08.2014 को सीबीआर संख्या 05 दिनांक 16.04.2014 को ड्यूटी में शामिल हुई थी। इसके अलावा, संविदा के आधार पर उनकी नियुक्ति का विवरण नीचे दिया गया है: -

क्रमसं	प्राधिकरण	मानदेय	टिप्पणी
1	CBR सं. 06 दिनांक 16.07.2015	Rs. 30,000/-	11 महीने के लिए लगे हुए हैं।
2.	CBR No. 09 दिनांक 08.07.2016	Rs. 40, 000/-	11 महीने के लिए और मानदेय रु30000 से रु 40000 बढ़ा लगे।
3.	CBR No. 02 दिनांक 31.05.2017	Rs. 40,000/-	11 महीने के लिए लगे हुए हैं।
4.	CBR No. 02 दिनांक 23.04.2018	Rs. 40,000/-	11 महीने के लिए लगे हुए हैं।
5.	CBR No. 04 दिनांक 21.02.2019	Rs. 40,000/-	11 महीने के लिए और मानदेय रु 40000 से रु 45000 बढ़ा लगे।
6.	CBR No. 03 दिनांक 24.01.2020	Rs. 48,720/-	11 महीने के लिए और मानदेय रु 45000 से रु 48720 बढ़ा लगे।
7.	CBR No. 02 दिनांक 22.01.2021	Rs. 48,720/-	11 महीने के लिए लगे हुए हैं। w.e.f. 03.02.2021
8.	CBR No. 01 दिनांक 23.02.2021	Rs. 48,720/-	11 महीने के लिए लगे हुए हैं। w.e.f. 03.02.2021
9.	CBR No. 27 दिनांक 31.12.2021	R.s 48,720/-	11 महीने के लिए लगे हुए हैं। w.e.f. 03.02.2021

अनुबंध की अवधि 03.01.2023 को समाप्त होगी। सेंट थॉमस माउंट और पल्लवरम के छावनी अस्पतालों में नियमित आयुर्वेद बाह्य रोगियों की देखभाल के लिए उनकी सेवाओं की आवश्यकता है। व्यक्ति भी बोर्ड के साथ काम करने में रुचि रखता है। यह देखा गया है कि जीईएम पोर्टल में एएमओ (आयुर्वेद) पद उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में GeM से प्राप्त NAC बोर्ड

के संदर्भ के लिए संलग्न है। इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि डॉ. पी.देवी को ग्यारह महीने (या) के लिए जीईएम पर उक्त सेवा उपलब्ध कराने तक, जो भी पहले हो, प्रभावी 06.01.2023 तक लगाया जा सकता है।

इस संबंध में संबंधित दस्तावेज पटल पर रखे गए हैं।

बोर्ड स्वीकृति दे सकता है।

संकल्प संख्या 4: डॉ. पी.देवी, सहायक चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) की अनुबंध के आधार पर 06.02.2023 से ग्यारह महीने के लिए (या) जब तक सेवा जीईएम पर उपलब्ध नहीं हो जाती, जो भी पहले हो, पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया 48,720/- प्रति माह के समान मानदेय पर।

4. छावनी के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट की नियुक्ति अनुबंध के आधार पर बोर्ड

श्री राघवन एंड मुरलीधरन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म 11 महीने की अवधि के लिए द्वारा प्रदान किए जाने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट की नियुक्ति पर विचार करने के लिए।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि, इस कार्यालय ने CBAR, 2020 के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक लेखांकन उद्देश्यों के लिए ABAS (एक्रुअल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम) को लागू किया है। इस संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट लेखा रिपोर्ट में सुधार कर रहे हैं, CMC बैठकों में भाग ले रहे हैं, CA जारी कर रहे हैं। लेखा रिपोर्ट के लिए प्रमाण पत्र और आज तक ABAS और अन्य वित्तीय सेवाओं के संबंध में कार्यों की सुविधा। इसके अलावा, अनुबंध के आधार पर नियुक्ति का विवरण नीचे दिया गया है:-

क्रम सं	अधिकारी	मानदेय	टिप्पणियाँ
1.	CBR No. 06, dated 18.10.2011	Rs. 25000/- p.m.	Engaged from 10.05.2012 to 01.04.2013.
2.	CBR No. 22, dated 05.10.2015	Rs. 25000/- p.m.	Engaged services till the completion of ABAS Project.
3.	CBR No. 03, dated 27.11.2018	Rs. 40,000/- p.m.	Increased Professional fees from Rs. 25000/- to Rs. 40,000/- (excluding GST).
4.	CBR No. 06, dated	Rs. 40,000/- p.m.	Engaged service still

31.12.2021	30.04.2022.
------------	-------------

चूंकि, इस छावनी बोर्ड के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट की सेवाओं की आवश्यकता है, यह श्री राघवन और मुरलीधरन को पेशेवर शुल्क के लिए रु 60,000/- प्रति तिमाही वर्ष (अर्थात् 20,000/- रुपये प्रति माह) सभी लागू करों सहित द्वारा प्रदान किए गए चार्टर्ड एकाउंटेंट को नियुक्त करने का प्रस्ताव है।

इस संबंध में संबंधित दस्तावेज पटल पर रखे गए हैं।

बोर्ड स्वीकृति दे सकता है।

संकल्प सं 5: श्री राघवन और मुरलीधरन रुपये के पेशेवर शुल्क के साथ रु 60,000/- प्रति तिमाही वर्ष (अर्थात् रु. 20,000/- प्रति माह) 12 महीने की अवधि के लिए 01.01.2023 से लागू सभी करों सहित द्वारा प्रदान किए जाने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट की नियुक्ति पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

6. जेम पोर्टल के माध्यम से लैब टेक्निशियन, मिडवाइफ, फिजियोथेरेपिस्ट, आयुष फार्मासिस्ट और रोगी सहायक की भर्ती।

संदर्भ सीबीआर सं 02 दिनांक 29.10.2022

छावनी बोर्ड, संदर्भ में उद्धृत संकल्प के तहत, श्री वी2यू मेंटेनेंस सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई को GeM पोर्टल के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल के लिए 10 मैन पावर की भर्ती के लिए मंजूरी दे दी है। तदनुसार, श्री वी2यू मेंटेनेंस सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई ने एलआर सं.एसटीएम/एडीएम/जीईएम/हेल्थ केयर/2831 दिनांक 31.10.2022 को 01.11.2022 से सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचित किया गया था। हालांकि, GeM पोर्टल पर अनुबंध और वर्क ऑर्डर सृजित करते समय यह देखा गया कि जीईएम पोर्टल ने इस तरह के विकल्प की अनुमति नहीं दी। इसलिए, श्री वी2यू मेंटेनेंस सर्विसेज (इंडिया) प्रा. Ltd., Chennai, Ir No. STM/ADM/GEM/Health Care/2831 दिनांक 31.10.2022 के माध्यम से, GeM अधिकारियों से स्पष्टीकरण लंबित होने के कारण सेवाएं प्रदान नहीं करने का अनुरोध किया गया था। इस बीच, मौजूदा ठेकेदारों श्री आउटसोर्सिंग सॉल्यूशंस, श्री राज मेनपावर सर्विसेज, श्री द्रोणाचार्य सेवा

संस्थान और श्री यूनिकेयर सर्विसेज से 31.12.2022 तक सेवाएं प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। तदनुसार, अनुबंध और कार्य आदेश उत्पन्न करने में कठिनाइयों को टिकट संख्या 5386645 दिनांक 03.11.2022 के माध्यम से GeM के साथ उठाया गया था। जवाब में, GeM ने ई-मेल दिनांक 03.11.2022 के माध्यम से सूचित किया कि कई L-1 अनुबंधों के मामले में बोलीदाताओं के मैनुअल चयन के विकल्प को रद्द कर दिया गया है और छावनी बोर्ड को सलाह दी है कि वह सबसे कम बोली लगाने वालों के स्वतः चयन के मामले को संसाधित करे। GeM तदनुसार, स्वचालित चयन के लिए मामला संसाधित किया गया था, जिसमें मैसर्स स्वास्तिक सॉल्यूशंस, महाराष्ट्र को स्वचालित रूप से चुना गया था लेकिन उसने सेवाएं प्रदान करने से इनकार कर दिया। इसलिए, स्वतः चयन के लिए मामले को फिर से संसाधित किया गया, जिसमें मैसर्स एसए इंडिया (एसएआई) को GeM द्वारा स्वचालित रूप से चुना गया है। इसके बाद, श्री एसए इंडिया (एसएआई) ने भी सेवा प्रदान करने से इनकार कर दिया। फिर मामले को स्वचालित चयन के लिए फिर से संसाधित किया गया, जिसमें श्री प्लेज सिक्वोरिटीज एंड फैसिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली को स्वचालित रूप से GeM द्वारा चुना गया है। इसलिए श्री प्लेज सिक्वोरिटी एंड फैसिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली को अनुबंध देने का प्रस्ताव है, जिसे 01.01.2023 से 12 महीने की अवधि के लिए स्वास्थ्य देखभाल के लिए जनशक्ति की न्यूनतम दर रु 31,27,513.98 10 नंबर की आपूर्ति के लिए GeM द्वारा स्वचालित रूप से चुना गया है।

इस संबंध में संबंधित दस्तावेज पटल पर रखे गए हैं।

बोर्ड स्वीकृति दे सकता है।

संकल्प सं 6: रु 31,27,514/- की सबसे कम बोली पर विचार किया गया और स्वीकृत किया गया। श्री प्लेज सिक्वोरिटी एंड फैसिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली द्वारा उद्धृत किया गया है, जिसे 01.01.2023 से 12 महीने की अवधि के लिए स्वास्थ्य देखभाल के लिए 10 नंबर की जनशक्ति के प्रावधान के लिए GeM द्वारा स्वचालित रूप से चुना गया है। मौजूदा ठेकेदार, श्री आउटसोर्सिंग सॉल्यूशंस, श्री राज मेन पावर सर्विसेज, श्री द्रोणाचार्य सेवा संस्थान और श्री यूनिकेयर सर्विसेज 31.12.2022 तक सेवाएं प्रदान करेंगे।

7. इस कार्यालय के सभी स्थानों में डाटा एंट्री ऑपरेटर(22) को किराये पर लेना, जिसमें छावनी अस्पताल दोनों शामिल हैं सेंट थॉमस माउंट और पल्लावरम , छावनी उप कार्यालय पल्लावरम, ई-सेवई माइयम, राजस्व अनुभाग, पीडब्ल्यू अनुभाग और आईटी अनुभाग

सेंट थॉमस माउंट और पल्लावरम, छावनी उप-कार्यालय पल्लावरम, ई-सेवई दोनों में छावनी स्कूलों और छावनी अस्पतालों सहित इस कार्यालय के सभी स्थानों में डाटा एंट्री ऑपरेटरों (22) की भर्ती के लिए सरकारी ई मार्केटप्लेस में प्रकाशित बोली पर विचार और अनुमोदन करने के लिए मैयम, राजस्व अनुभाग, पीडब्ल्यूडी अनुभाग और आई.टी अनुभाग को 12 महीने की अवधि के लिए जो जीईएम बोली संख्या जीईएम/2022/बी/2796834 दिनांक 30-11-2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था। विषय बोली में कुल 84 बोलीदाताओं ने भाग लिया है। तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा बोलियों का मूल्यांकन किया गया और पाया गया कि 03 बोलीदाताओं ने वित्तीय बोली खोलने के लिए अर्हता प्राप्त की है और अन्य निविदा शर्तों और अन्य मानदंडों का पालन नहीं करने के कारण योग्य नहीं हैं।

GeM बोली संख्या GEM/2022/B/2796834 दिनांक 30-11-2022 के लिए वित्तीय बोली 26-12-2022 को खोली गई थी। जीईएम पोर्टल द्वारा ऑटो सेलेक्ट विकल्प के माध्यम से निम्नलिखित बोलीदाता का चयन किया गया था।

क्रम सं	बोलीदाताओं का नाम	स्थान	कुल पद	कुल रुपए राशि	टिप्पणियाँ
1	एक्स सर्विसमेन सिक्युरिटी सर्विसेज़	चेन्नई	22	₹ 82,14,969.05/-	L1

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अनुबंध को देने का प्रस्ताव है। श्री भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा सेवाएं, चेन्नई जो स्वचालित रूप से विषय बोली के लिए एल 1 बोलीदाता के रूप में सिस्टम द्वारा चयनित किया गया था।

संबंधित फाइल और कार्यालय की रिपोर्ट पटल पर रखी गई हैं।

बोर्ड स्वीकृति दे सकता है।

संकल्प सं 7: श्री एक्स सर्विस्मैन द्वारा उद्धृत रु 82,14,969.05 सबसे कम बोली पर भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा सेवा रेग, चेन्नई को 01.01.2023 से 12 महीने की अवधि के लिए छावनी बोर्ड, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम के कार्यालय के सभी स्थानों में डाटा एंट्री ऑपरेटर (22) को काम पर रखने के लिए विचार और स्वीकृत किया गया।

8.पल्लावरम में ओल्ड ट्रंक रोड पर साप्ताहिक बाजार के रख-रखाव और संग्रह के लिए लाइसेन्स शुल्क में छूट, चक्रवात रेड अलर्ट के कारण

संदर्भ: श्री अमृता & को, लाइसेंसधारी, ओल्ड ट्रंक रोड, पल्लावरम में साप्ताहिक बाजार का रखरखाव और संग्रह दिनांक 08.12.2022.

ओल्ड ट्रंक रोड, पल्लावरम में साप्ताहिक बाजार के रखरखाव और संग्रह के लिए लाइसेंस शुल्क पर विचार करना और उसे माफ करना, जो तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा घोषित मेंडस साइक्लोन रेड अलर्ट के कारण आयोजित नहीं किया जा सका।

यह कहा गया है कि, इस कार्यालय ने श्री अमृता & को, छावनी बोर्ड संकल्प (सीबीआर) सं 30 दिनांक 03.03.2019 के अनुसार ओल्ड ट्रंक रोड, पल्लावरम में साप्ताहिक बाजार के रखरखाव और संग्रह के लिए अस्थायी लाइसेंस सम्मानित किया था।

जबकि, श्री अमृता एवं को लाइसेंसधारी ने मेंडस साइक्लोन रेड अलर्ट के कारण संदर्भित अपने अनुरोध पत्रों के माध्यम से साप्ताहिक बाजार के लिए लाइसेंस शुल्क राशि माफ करने का अनुरोध किया था जो 09.12.2022 को आयोजित नहीं किया जा सका था।

इस संबंध में इस कार्यालय ने शुक्रवार के बाजार का निरीक्षण किया और पाया कि दिनांक 09.12.2022 को कोई भी दुकान मौजूद नहीं थी। इसलिए, बोर्ड ओल्ड ट्रंक रोड, पल्लावरम में साप्ताहिक बाजार के रखरखाव और संग्रह के लिए लाइसेंस शुल्क माफ करने की मंजूरी दे सकता है, जो कि मेंडस साइक्लोन रेड अलर्ट के कारण 09.12.2022 को आयोजित नहीं किया जा सका।

इस संबंध में संबंधित फाइलों पटल पर रखी गई हैं।

बोर्ड स्वीकृति दे सकता है।

संकल्प सं 8: तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा घोषित मेंडस साइक्लोन रेड अलर्ट के कारण 09.12.2022 को आयोजित नहीं हो सकनेवाले साप्ताहिक बज के लिए लाइसेंस शुल्क माफ करने पर विचार और अनुमोदित किया गया।

9. संपत्ति कर का उप-विभाजन

संपत्ति कर रिकार्ड में श्री के सुब्रमनियन जिनका निधन हो गया, के कानूनी उत्तराधिकारी हैं, जैसे श्रीमती नागेश्वरी-1, श्रीमती मंजुल-2, श्रीमती सुमति-3, एस हरी कृष्णन-4, श्रीमती यमुना देवी-5 और के एस श्रीधरन-6।

जबकि, ऊपर वर्णित कानूनी उत्तराधिकारी ने 1682 वर्ग मीटर के लिए श्री एस हरीकृष्णन को एक हिस्सा तय किया था। 3742 वर्ग फुट में से फुट और दूसरा हिस्सा श्रीमती के एस श्रीधरन 3742 वर्ग फुट में से 1680 वर्ग फुट के लिए दस्तावेज सं 2552/2022 देखे।

अब , श्री एस हरिकृष्णन और श्रीमती के एस श्रीधरन उक्त संपत्ती को अपने नाम पर उप-विभाजित करने का अनुरोध कर रहे हैं।

क्रम सं	डी सं	नाम	मौजूदा ARV	प्रस्तावित ARV	टिप्पणियाँ
1.	7/37, STM	के सुब्रमनियन	25616	-	-
1.	7/37-1, STM	एस हरिकृष्ण	-	15370	संपत्ति के उप-विभाजित के मामले में प्रस्तावित ARV में 20% की वृद्धि हुई है।
2.	7/37-2, STM	के एस श्रीधरन	-	15370	

इस संबंध में संबंधित फ़ाइलों पटल पर रखी गई हैं।

बोर्ड स्वीकृति दे सकता है।

संकल्प सं 9: विचार और स्वीकृत किया गया। बोर्ड ने संकल्प लिया कि बी 2 पत्ता भूमि (गैर रक्षा भूमि) पर संपत्तियों के उप-विभाजन, जैसा कि अजेन्डा में उल्लेख किया गया है, को इस

शर्त के अधीन अनुमति दी जा सकती है कि यह विशुद्ध रूप से कराधान के उद्देश्य के लिए है और अनधिकृत निर्माणों को मान्य नहीं करता है या अतिक्रमण, यदि उक्त स्थलों में कोई शामिल है या तो पता नहीं चला है। बोर्ड ने आगे संकल्प लिया कि सब-डिवीजन देने से छावनी अधिनियम के प्रावधान जे अनुसार आवेदकों द्वारा किए गए किसी भी अपराध को वैध बनाने कि राशि नहीं होगी और छावनी बोर्ड / मिनट के अधिकारों और हिट के प्रति पूर्वाग्रह के बिना है।

10. डेस्कटॉप(61) , लैपटॉप (06) , सर्वर (08), स्कैनर (04) , यूपीएस(09), नेटवर्क स्विटचेस (10), प्रिंटर (41) के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध

डेस्कटॉप(61) , लैपटॉप (06) , सर्वर (08), स्कैनर (04) , यूपीएस(09), नेटवर्क स्विटचेस (10), प्रिंटर (41) के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध (ए एम सी) के लिए सरकारी ई-मार्केट प्लस में प्रकाशित बोली पर विचार और अनुमोदन करने के लिए, जो GeM बीड नं **GEM/2022/B/2718481** दिनांक 09.11.2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था। विषय बोली में कुल 06 बोलीदाताओं ने भाग लिया। तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा बोलियों का मूल्यांकन किया गया और पाया गया कि 03 बोलीदाताओं ने वित्तीय बोली खोलने के लिए अर्हता प्राप्त कि है और अन्य निविदा शर्तों और अन्य मानदंडों का पालन नहीं करने के कारण योग्य नहीं हैं।

GeM बोली सं **GEM/2022/B/2718481** दिनांक 09-11-2022 को खोली गई थी। फर्मों द्वारा उद्धृत दर इस प्रकार है:-

क्रम सं	बोलीदाताओं का नाम	स्थान	जीएसटी के साथ उद्धृत कुल राशि	टिप्पणियाँ
1.	ACS सिस्टम सोल्युशंस	नई दिल्ली चेन्नई कार्यालय	Rs. 4,90,859/-	L1
2.	फिनीकोस प्राइवेट लिमिटेड	चेन्नई	Rs. 4,94,716/-	L2
3.	आर्मटेक कंप्यूटर सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड	चेन्नई	Rs. 6,44,676/-	L3

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, श्री एससीएस सिस्टम सोल्युशंस, नई दिल्ली जिसने विषय बोली के लिए सबसे कम दर उद्धृत की है, जो विचार और अनुमोदन के लिए रखा गया है।

संबंधित फ़ाइलों और कार्यालय कि रिपोर्ट पटल पर रखी गई हैं ।

बोर्ड स्वीकृति दे सकता है।

संकल्प सं 10: रु 4,90,859/- द्वारा उद्धृत डेस्कटॉप, लैपटॉप, सर्वर, स्कैनर, यूपीएस , नेटवर्क स्विटचेस, प्रिंटर और ऑल-इन-वन सिस्टम्स के लिए 08.01.2023 से प्रभावी 12 महीने की अवधि के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) के लिए एससीएस सिस्टम सोल्युशंस न्यूनतम दर पर विचार और अनुमोदन किया गया।

11. Oracle वार्षिक तकनीकी समर्थन लाइसेंस का नवीनीकरण छावनी बोर्ड में oracle डेटाबेस के अद्यतनीकरण के लिए

Oracle डेटाबेस के अद्यतन के लिए oracle सॉफ्टवेयर अपग्रेड और तकनीकी उत्पाद समर्थन वार्षिक लाइसेंस के नवीनीकरण पर विचार करने के लिए और छावनी बोर्ड, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई-16 में फार्म और रिपोर्ट। बोर्ड ने सीबीआर सं 10 दिनांक 31-12-2021 के माध्यम से श्री ऑरकल वार्षिक तकनीकी सहायता लाइसेंस कि खरीद को मंजूरी दी। oracle इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, oracle सॉफ्टवेयर अपग्रेड और तकनीकी उत्पाद समर्थन सेवा के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण 28-03-2022 को होनेवाला है। कंपनी ने अपनी oracle सॉफ्टवेयर अपग्रेड और तकनीकी उत्पाद समर्थन के लिए मान्य दरें दी गई हैं।

क्रम सं	विवरण		सॉफ्टवेयर अपडेट	प्रोडक्ट सपोर्ट
1	Oracle Database Edition 2 - Named user plus perpetual	10	Rs.30,936.61	रु 14,437.12
2	Oracle Forms and Reports - Named user plus perpetual	10	Rs.40,659.51	रु 18,974.44
		कुल	Rs. 71,596.12	रु. 33,411.56
		ग्रांड कुल		रु 1,05,007.68
		जीएसटी @18%		रु. 18,901.38
		GST के साथ कुल राशि		रु. 1,23,909.00

उपरोक्त पर, 29.03.2023 से 28.03.2024 तक की अवधि के लिए उपरोक्त oracle सॉफ्टवेयर अपग्रेड और तकनीकी उत्पाद समर्थन नवीनीकरण के लिए कुल रु 1,23,909/-

संबंधित दस्तावेज सहित संबंधित फ़ाइल को अनुमोदन के लिए पटल पर रखा गया है।

बोर्ड स्वीकृति दे सकता है।

संकल्प सं 11: ₹ 1,23,909/- (जीएसटी सहित) की कीमत पर 29.03.2023 से 28.03.2024 तक की अवधि के लिए वैध oracle सॉफ्टवेयर अपग्रेड और तकनीकी उत्पाद समर्थन वार्षिक लाइसेंस को नवीनीकरण करने पर विचार और अनुमोदित किया गया।

12. धारा 235 के तहत आवेदन का निर्माण छावनी अधिनियम 2006

भूतल और आवासीय में आवासीय भवन के प्रस्तावित निर्माण के लिए श्रीमाई एन अलामेलू , प्लॉट सं 291, कलेंगर नगर, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई - 600 016 से प्राप्त अनलाइन भवन योजना आवेदन दिनांक 12.12.2022 पर विचार करने के लिए प्लॉट नं 291, कलेंगर नगर, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई - 600 016 में पहली मंजिल में इमारत। जीएलआरएस नं 264 भाग, आरएस नं 1910 भाग वाली विषय भूमि को बी2 भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो अधिसूचना सिविल के बाहर स्थित है। सेंट थॉमस माउंट (वार्ड नं II) में क्षेत्र। छावनी अधिनियम,2006 की धारा 234 के अनुसार, अधिसूचित नागरिक क्षेत्र के बाहर स्थित भूमि के लिए भवन योजना को

इंजीनेयरिंग विभाग ने रिपोर्ट किया कि सरकार भूमि के लिए अतिक्रमण नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार एई/जेई, भवन योजना बाय लवस और FSI के साथ

संबंधित दस्तावेज सहित संबंधित फ़ाइल को अनुमोदन के लिए पटल पर रखा गया है।

बोर्ड स्वीकृति दे सकता है।

संकल्प सं 12: विचार और अनुमोदित किया। बोर्ड ने छावनी अधिनियम 2006 की धारा 234 के तहत भवन योजना को मंजूरी देने का संकल्प लिया, जो कि छावनी बोर्ड की धाराओं और उप-कानूनों के तहत शर्तों के अनुरूप है और बोर्ड के अधिकारों और हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अन्य तहत कार्रवाई करने के लिए लागू प्रावधान/ अधिनियम। मंजूरी केवल नगरपालिका की मंजूरी है और भूमि पर या उस पर किसी और के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

13. GLRSY सं 132 में पूरी तरह से समाप्त पट्टे अवधि से पड़े पट्टे का विस्तार, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी के 1256 वर्ग फुट को मापता है

17.11.2020 से 31.2.2021 तक की अवधि के लिए सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी के 1256 वर्ग फुट के GLRS सं 132 के संबंध में पूरी तरह से समाप्त पट्टे की पूरी अवधि से परे पट्टे के विस्तार पर विचार करने के लिए पट्टे की पूरी अवधि समाप्त कोने की तारीख को प्रचलित STR दर पर पट्टा किराया।

GLRS सं 132 में रक्षा भूमि, माप 1256 sqft, B-3 के रूप में वर्गीकृत, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी के अधिसूचित नागरिक क्षेत्र के अंदर स्थित है और छावनी बोर्ड के प्रबंधन के तहत रखा गया है, CLAR, 1925 30 वर्ष की अवधि के लिए, 90 वर्ष तक पट्टेदार के विकल्प पर नवीकरणीय, श्रीमती वरदम्माल के नाम पर आवास उद्देश्य के लिए 17.11.1930 से प्रभावी और उप-पंजीयक कार्यालय, सईदापेट में दस्तावेज संख्या के रूप में पंजीकृत। 1931 का 507 पुस्तक-1 खंड 336, पृष्ठ 103 से 106 08.05.1931 को अनुसूची VI में पट्टे पर दिया गया था।

16.11.1960 को समाप्त हुए पहले कार्यकाल के लिए पट्टे और 30 वर्ष की दूसरी अवधि के लिए पट्टे और 30 वर्ष की दूसरी अवधि के लिए पट्टे को फिर से श्रीमती वरदम्माल के नाम पर 17.11.1960 से CLAR, 1937 की अनुसूची IV में निष्पादित नवीकरण पट्टा समझौते के तहत नवीनीकृत किया गया था और 0.93 रुपए के वार्षिक किराए पर 24.01.1963 को उप-पंजीयक कार्यालय, सईदापेट में 1963 के दस्तावेज सं 83, पुस्तक-I, खंड 647, पृष्ठ 254 से 256 के रूप में पंजीकृत।

इसके अलावा, श्रीमती जी वरदम्माल ने 04.09.1991 को दस्तावेज सं 2630 दिनांक 04.09.1991 पुस्तक-885. खंड 91, पृष्ठ 439 से 443 के माध्यम से श्री के जयकुमार को पट्टे के अधिकार हस्तांतरित कर दिए। तदनुसार, छावनी बोर्ड ने पत्र सं एसटीएम/लीस/4/1905 दिनांक 01.03.1994 द्वारा श्री के जयकुमार के नाम पर लीज होल्ड अधिकारों को बदल दिया।

इसके अलावा, श्री के जयकुमार का निधन 19.12.2011 को हुआ। इसलिए, संबंधित संपत्ति के लीज होल्ड अधिकारों को उनकी पत्नी यानि श्रीमती शांताकुमारी के पक्ष में, CBR सं 8 दिनांक 10.05.2013 और एसटीएम/लीस/4/0786 दिनांक 27.05.2013 परिवर्तित किया गया था।

सीएलएआर, 1937 की अनुसूची IV में निष्पादित और संयुक्त-द्वितीय उप-पंजीयक के यहां पंजीकृत नवीकरण पट्टा समझौते के माध्यम से 17.11.1990 से श्रीमती टी.संताकुमारी के नाम पर तीसरे और 30 वर्षों की अंतिम अवधि के लिए पट्टे का नवीनीकरण किया गया था। कार्यालय, सैदापेट 2017 के दस्तावेज संख्या 594, पुस्तक - I, पृष्ठ 1 से 9 के रूप में 31.03.2017 को रु.2 / - के वार्षिक किराए पर।

तीसरी और आखिरी 30 साल की अवधि यानी कुल 90 साल की लीज की अवधि 16.11.2020 को खत्म हो चुकी है।

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की अंतरिम नीति के अनुसार पत्र संख्या 11013/2/2016/D(Lands) दिनांक 10.03.2017 और 11013/2/2016/D(Lands) दिनांक 31.12.2018 और क्रमांक 11013/2/2016/डी(भूमि) दिनांक 15-02-2021, छावनी बोर्ड ने पट्टेदार श्रीमती टी.संथाकुमारी से पत्र संख्या एसटीएम/एडीएम/लीज/34/1613 दिनांक 14.08.2021 के माध्यम से अनुरोध किया, 17.11.2020 से 31.12.2021 तक की अवधि के लिए 1256 वर्गफीट के जीएलआरएस संख्या 132 में लीज के विस्तार की सहमति व्यक्त करने और प्रचलित एसटीआर दर पर और उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार लीज रेंट के बकाया का भुगतान करने के लिए।

जवाब में, पट्टेदार ने पत्र दिनांक 31.08.2021 के माध्यम से 17.11.2020 से 31.12.2021 तक की अवधि के लिए पट्टे के विस्तार और प्रचलित एसटीआर पर पट्टा किराए का भुगतान करने की इच्छा व्यक्त की।

इसके बाद, छावनी बोर्ड ने पट्टेदार को पत्र संख्या STM/ADM/LEASE/34/0250 दिनांक 21.12.2021 के द्वारा आवासीय दर पर पट्टे के किराए के बकाया के लिए रु. 1,11,469/- की राशि का भुगतान करने के लिए मांग नोटिस जारी किया। जीएलआरएसवाई संख्या 132 में 1256 वर्गफीट की भूमि के संबंध में दिनांक 17.11.2020 से 31.12.2021 तक

की अवधि। पट्टेदार ने सीबी रसीद संख्या 3749 दिनांक 29.11.2022 के माध्यम से रु. 1,11,469/- की पूरी राशि का भुगतान किया।

चूंकि पट्टेदार श्रीमती टी.संथाकुमारी ने भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की अंतरिम नीति के अनुसार मौजूदा एसटीआर दर पर लीज रेंट के बकाया का भुगतान किया, जीएलआरएस नंबर 132 में लीज का विस्तार, सेंट पीटर्सबर्ग के 1256 वर्गफुट को मापते हुए। सेंट थॉमस माउंट सह पल्लवरम छावनी को आवासीय उद्देश्य के लिए 17.11.2020 से 31.12.2021 तक की अवधि के लिए अनुमोदित किया जाना है और डीजी, डीई पत्र संख्या 18/48/एल/डीई/57 खंड-XIII द्वारा प्राप्त सीएलएआर, 1937 की अनुसूची IV में उपयुक्त रूप से संशोधित पट्टा समझौता दिनांक 05.05.2022 को निष्पादित और पंजीकृत किया जाना है।

संकल्प संख्या 13: श्रीमती टी.संथाकुमारी के पक्ष में जीएलआर Sy.No.132 के संबंध में आवासीय उद्देश्य के लिए पट्टे की अवधि 17.11.2020 से 31.12.2021 तक बढ़ाने और उपयुक्त रूप से संशोधित समझौते को निष्पादित करने और पंजीकृत करने के लिए स्वीकृत और अनुमोदित जैसा कि उक्त अवधि के लिए डीजीडीई द्वारा परिचालित किया गया है। तत्पश्चात्, विषयगत पट्टा भूमि के लिए अद्यतन जीएलआर उद्धरण सूचना के लिए पीडीडीई को अग्रेषित किया जाना है।

14. जीएलआरएस सं. 388/427-ए, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लवरम छावनी का 99.00 वर्ग फुट माप के संबंध में पूरी तरह से समाप्त पट्टे की पूरी अवधि से परे पट्टे के विस्तार पर विचार करने के लिए।

11.12.2021 से 31.12.2022 तक की अवधि के लिए सेंट थॉमस माउंट सह पल्लवरम छावनी के 99.00 वर्ग फुट के जीएलआरएस नंबर 388/427-ए के संबंध में पूरी तरह से समाप्त पट्टे की पूरी अवधि से परे पट्टे के विस्तार पर विचार करने के लिए पट्टे की पूर्ण अवधि समाप्त होने की तिथि को प्रचलित एसटीआर दर से पट्टा किराया भुगतान करने पर।

GLRS No.388/427-A में रक्षा भूमि, माप 99.00 sqft, B-3 के रूप में वर्गीकृत, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लवरम छावनी के अधिसूचित नागरिक क्षेत्र के अंदर स्थित है और छावनी बोर्ड के प्रबंधन के तहत रखा गया है, पट्टे पर दिया गया था CLAR, 1925 की अनुसूची VI में 30 साल

की अवधि के लिए, 90 साल तक पट्टेदार के विकल्प पर नवीकरणीय, श्री मोहम्मद साहब के नाम पर आवासीय उद्देश्य के लिए 11.12.1931 से प्रभावी और उप-पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत, पल्लवरम 1932 पुस्तक-1 के दस्तावेज़ संख्या 384 के रूप में, 1/- रुपये के वार्षिक किराए पर 15.03.1932 को पृष्ठ 3 शामिल है।

इसके बाद, पट्टेदार ने पट्टा अधिकार श्री अब्दुल रहीम साहब को स्थानांतरित कर दिया।

10.12.1961 को समाप्त हुए पहले कार्यकाल के लिए पट्टे और 30 साल की दूसरी अवधि के लिए पट्टे को 11.12.1961 से श्री अब्दुल रहीम साहब के नाम पर फिर से नवीनीकृत किया गया था, सीएलएआर की अनुसूची IV में निष्पादित नवीकरण पट्टा समझौता, 1937 और सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय, पल्लवरम में 1963 के दस्तावेज़ संख्या 68, पुस्तक-1, खंड 258, पृष्ठ 218 से 220 के रूप में 19.01.1963 को रु.1.50np/- के वार्षिक किराए पर पंजीकृत किया गया।

इसके अलावा, श्री अब्दुल रहीम साहब की मृत्यु 28.03.1979 को हुई। इसलिए, संबंधित संपत्ति के लीज होल्ड अधिकारों को सीबीआर संख्या 12 दिनांक 11.07.2017 द्वारा उनके बेटे यानी श्री अज़ीमुद्दीन के पक्ष में बदल दिया गया था।

CLAR, 1937 की अनुसूची IV में निष्पादित और दस्तावेज़ के रूप में सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय, पल्लवरम में पंजीकृत नवीकरण लीज़ समझौते के तहत 11.12.1991 से श्री अज़ीमुद्दीन के नाम पर 30 साल की तीसरी और अंतिम अवधि के लिए लीज़ का नवीनीकरण किया गया था 2015 की संख्या 4452, पुस्तक-1, पृष्ठ 1 से 5 तक 18.05.2015 को 3/- रुपये के वार्षिक किराए पर।

तीसरी और आखिरी 30 साल की लीज यानी 90 साल की कुल अवधि 10.12.2021 को खत्म हो चुकी है।

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की अंतरिम नीति के अनुसार पत्र संख्या 11013/2/2016/D(Lands) दिनांक 10-03-2017 और 11013/2/2016/D(Lands) दिनांक 31.12.2017 द्वारा जारी किया गया। 2018, संख्या 11013/2/2016/डी (भूमि) दिनांक 15-

02-2021 और पत्र संख्या 11013/2/2016/डी (भूमि) दिनांक 20.01.2022, छावनी बोर्ड ने पट्टेदार श्री आर अज़ीमुद्दीन से अनुरोध किया पत्र संख्या एसटीएम/एडीएम/लीज/11/0123 दिनांक 18.12.2021 द्वारा जीएलआरएस संख्या 388/427-ए में पट्टे के विस्तार की इच्छा व्यक्त करने के लिए, 11.12.2021 से 31.12 तक की अवधि के लिए 99.00 वर्ग फुट मापी गई। 2022 और मौजूदा एसटीआर दर पर और उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार लीज रेंट के बकाया का भुगतान करने के लिए।

जवाब में, पट्टेदार ने पत्र दिनांक 01.02.2022 के माध्यम से 11.12.2021 से 31.12.2022 तक की अवधि के लिए पट्टे के विस्तार और प्रचलित एसटीआर पर पट्टा किराए का भुगतान करने की इच्छा व्यक्त की।

तत्पश्चात्, छावनी बोर्ड ने पट्टेदार को पत्र सं. एसटीएम/वर्क्स/1/3187 दिनांक 15.11.2022 के माध्यम से 11.12.2022 से कुल अवधि के लिए आवासीय दर पर पट्टे के किराए की बकाया राशि के लिए रु.25,823/- की राशि भेजने के लिए मांग नोटिस जारी किया। जीएलआरएस संख्या 388/427-ए में 99.00 वर्गफीट की भूमि के संबंध में .2021 से 31.12.2022 तक। पट्टेदार ने सीबी रसीद संख्या 3943 दिनांक 16.12.2022 द्वारा रु.25,823/- की पूरी राशि का भुगतान किया।

चूंकि पट्टेदार श्री आर अज़ीमुद्दीन ने भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की अंतरिम नीति के अनुसार प्रचलित एसटीआर दर पर पट्टे के किराए के बकाया का भुगतान किया है, जीएलआरएस संख्या 388/427-ए में पट्टे का विस्तार, मापन आवासीय उद्देश्य के लिए 11.12.2021 से 31.12.2022 तक की अवधि के लिए सेंट थॉमस माउंट सह पल्लवरम छावनी के 99.00 वर्गफुट को मंजूरी दी जानी है और सीएलएआर 1937 की अनुसूची IV में उपयुक्त रूप से संशोधित पट्टा समझौता, डीजी, डीई पत्र संख्या 18 द्वारा प्राप्त किया गया है। /48/एल/डीई/57, खंड-XIII दिनांक 05.05.2022 को निष्पादित और पंजीकृत किया जाना है।

संकल्प संख्या 14: श्री आर अज़ीमुद्दीन के पक्ष में जीएलआरएस संख्या 388/427-ए के संबंध में आवासीय उद्देश्य के लिए पट्टे की अवधि को 11.12.2021 से 31.12.2022 तक बढ़ाने और उचित रूप से संशोधित पंजीकरण करने पर विचार किया गया और अनुमोदित किया

गया। उक्त अवधि के लिए डीजीडीई द्वारा परिचालित समझौता। तत्पश्चात्, विषयगत पट्टा भूमि के लिए अद्यतन जीएलआर उद्धरण सूचना के लिए पीडीडीई को अग्रेषित किया जाना है।

15. मैसर्स सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड (सीईआईएल) की नियुक्ति, सार्वजनिक कार्यों में गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार का उपक्रम

छावनी बोर्ड ने सीबीआर संख्या 22 दिनांक 26.10.2016 के तहत मेसर्स सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड, डी-101-106, पहली मंजिल, आईटीसी टॉवर नंबर 7, भीकाजी कामा प्लेस, आरके पुरम, नई दिल्ली-110 066 को नियुक्त किया था। निर्माण के दौरान कार्यों (रखरखाव और मूल कार्य) / सेवाओं की जाँच के उद्देश्य से इसकी विशिष्टताओं, गुणवत्ता नियंत्रण और कारीगरी के संदर्भ में कार्य आदेश मूल्य के 0.90% की दर से सेवा कर (15%) की दर से 01.11.2016 से 31.10.2017।

इसके अलावा, छावनी बोर्ड ने 01.11.2017 से 01.11.2018 तक एक वर्ष की अवधि के लिए सीबीआर संख्या 9 दिनांक 08.11.2017 के माध्यम से बोर्ड की मंजूरी के बाद सीबीएसटीएम पत्र संख्या एसटीएम / वर्क्स / 1/0437 दिनांक 13.02.2018 के माध्यम से अपनी सेवाएं लीं।

तत्पश्चात्, छावनी बोर्ड ने सीबीएसटीएम के पत्र सं.एसटीएम/वर्क्स/1/0584 दिनांक 18.03.2019 के माध्यम से बोर्ड की स्वीकृति के बाद सीबीआर संख्या 10 दिनांक 18.12.2018 को एक वर्ष की अवधि के लिए 01.01.2019 से 31.12.2019 तक अपनी सेवाएं दी।

तत्पश्चात्, छावनी बोर्ड ने सीबीएसटीएम के पत्र सं.एसटीएम/वर्क्स/1/0282 दिनांक 03.02.2020 द्वारा सीबीआर सं.11 दिनांक 24.01.2020 के तहत एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी 01.01.2020 से 31.12.2020 तक अपनी सेवाएं दी।

तत्पश्चात्, छावनी बोर्ड ने सीबीएसटीएम पत्र सं.एसटीएम/वर्क्स/1/2544 दिनांक 30.12.2020 के माध्यम से बोर्ड की स्वीकृति के बाद सीबीआर सं.13 दिनांक 24.12.2020 को एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी 01.01.2021 से 31.12.2021 तक अपनी सेवाएं दी।

तत्पश्चात, छावनी बोर्ड ने सीबीएसटीएम के पत्र सं.एसटीएम/वर्क्स/1/0326 दिनांक 03.02.2022 के माध्यम से बोर्ड की स्वीकृति के बाद सीबीआर संख्या 26 दिनांक 29.01.2022 के तहत एक वर्ष की अवधि के लिए 01.01.2022 से 31.12.2022 तक अपनी सेवाएं दी।

अब, उनकी सेवाएं/अनुबंध की अवधि 31.12.2022 को समाप्त हो जाएगी और इसलिए एक वर्ष की अवधि के लिए 0.90% की दर से समान कारीगरी दरों के साथ उनकी सेवाओं को संलग्न करने के लिए मामला बोर्ड को भेजा जाए।

इसलिए, बोर्ड 01.01.2023 से 31.12.2023 तक भारत सरकार के एक उपक्रम मैसर्स सीईआईएल की सगाई को वर्क ऑर्डर मूल्य के 0.90% और लागू जीएसटी की दर से मंजूरी दे सकता है। संबंधित कागजात व फाइलें पटल पर रखी हैं।

इस संबंध में संबंधित फाइलें पटल पर रखी गई हैं।

संकल्प संख्या 15: गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 01.01.2023 से 31.12.2023 तक कार्य आदेश मूल्य और लागू जीएसटी के 0.90% की दर से मैसर्स सीईआईएल, भारत सरकार के एक उपक्रम को संलग्न करने के लिए विचार और अनुमोदित छावनी बोर्ड द्वारा निष्पादित किए जा रहे सार्वजनिक कार्यों में नियंत्रण।

16. दक्षिणी कमांड स्पोर्ट्स मीट 2022-2023 को पूरा करने के लिए समान बुनियादी कार्य (910 - शिक्षा) के भीतर बजट राशि का पुनर्विनियोजन

संदर्भ: निदेशालय पत्र सं.18877/स्पोर्ट्स मीट/एससी/2022/डीई दिनांक 13.12.2022

संदर्भित निदेशालय के पत्र के अनुसार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस बोर्ड को 27 और 28 जनवरी 2023 को दक्षिणी कमान स्पोर्ट्स मीट 2022-2023 आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। स्पोर्ट्स मीट में दक्षिणी कमान के छावनी बोर्ड स्कूलों के छात्र भाग ले रहे हैं। यह उम्मीद की जाती है कि रुपये की राशि। उपरोक्त स्पोर्ट्स मीट के संचालन के लिए 80 लाख की आवश्यकता है। उपरोक्त घटनाओं के लिए व्यय इस छावनी बोर्ड द्वारा वहन किया जाएगा और इसकी प्रतिपूर्ति भाग लेने वाले छावनी बोर्डों द्वारा की जाएगी।

वर्तमान में शिक्षा के लघु शीर्ष संहिता में आवंटित बजट दक्षिणी कमान खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए, सीबीएआर, 2020 के नियम 33.2(बी) के अनुसार, बुनियादी कार्य कोड के भीतर पुनर्विनियोजन आवश्यक है। इसलिए, रुपये का आवश्यक पुनर्विनियोजन करने का प्रस्ताव है। 910 - 2442 से 910 - 2999 तक 80 लाख जैसा नीचे बताया गया है:

से पुनर्विनियोजन : 910 - 2442

पुनर्विनियोजन : 910 - 2999

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी को व्यय अर्थात् खानपान, वाहनों और अन्य वस्तुओं को किराए पर लेने, ट्राफियों की खरीद और खेलकूद से संबंधित अन्य व्यय को पूरा करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है।

इस संबंध में संबंधित दस्तावेज पटल पर रखे गए हैं।

बोर्ड स्वीकृति दे सकता है।

संकल्प संख्या 16: रुपये की राशि का पुनर्विनियोजन करने पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया। समान मूल कार्य संहिता के तहत 80 लाख और सीईओ को दक्षिणी कमान स्पोर्ट्स मीट 2022-23 से संबंधित व्यय करने के लिए अधिकृत किया गया है।

17. खरीद तीसरी अवधि पाठ पुस्तकें डॉ. अम्बेडकर छावनी मॉटेसरी स्कूल, डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम, छावनी प्राथमिक विद्यालय, पल्लवरम और कामराजार, छावनी प्राथमिक स्कूल, गांधी छावनी मोनेटसोरी स्कूल, सेंट थॉमस माउंट

संदर्भ: 1. एचएम, सीबीपीएस, पल्लवरम और एचएम से प्राप्त अनुरोध पत्र

सीबीपीएस, सेंट थॉमस माउंट दिनांक 20.12.2022।

2. तमिलनाडु पाठ्यपुस्तक से प्राप्त चालान और शैक्षिक सेवा निगम।

यह अनुरोध किया जाता है कि प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में यह कार्यालय हमारे स्कूली बच्चों को डॉ. बी.आर. अम्बेडकर छावनी मॉटेसरी स्कूल, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम छावनी प्राथमिक

विद्यालय, पल्लवरम और कामराजार छावनी प्राथमिक विद्यालय, गांधी छावनी मॉटेसरी स्कूल, सेंट थॉमस माउंट निःशुल्क। यह सूचित किया जाता है कि यह कार्यालय तमिलनाडु पाठ्यपुस्तक और शैक्षिक सेवा निगम से स्कूल की पाठ्य पुस्तकों की खरीद करता है। इस संबंध में, निम्नलिखित पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता है और पाठ्यपुस्तकों की दर तमिलनाडु पाठ्यपुस्तक और शैक्षिक सेवा निगम, सरकार की एक इकाई से प्राप्त हुई है। तमिलनाडु के, नीचे विस्तृत है: -

क्रम सं	स्कूल का नाम	वर्ग	राशि
1.	डॉ बी आर अंबेडकर छावनी मॉटेसरी स्कूल, पल्लावरम & गांधी छावनी मॉटेसरी स्कूल, सेंट थॉमस माउंट	Ist STD to Vth STD - IIIrd Term	Rs.1,75,341/-
2.	डॉ एपीजे अब्दुल कलाम छावनी प्राथमिकता स्कूल, पल्लावरम & कमराजर छावनी प्राथमिकता स्कूल, सेंट थॉमस माउंट	Ist STD to Vth STD - IIIrd Term	Rs. 22,458/-
		कुल	Rs. 1,97,799/-

बोर्ड तमिलनाडु पाठ्यपुस्तक और शैक्षिक सेवा निगम, चेन्नई से उपरोक्त पाठ्य पुस्तकों की खरीद के लिए स्वीकृति दे सकता है।

इस संबंध में संबंधित दस्तावेज पटल पर रखे गए हैं।

संकल्प संख्या 17: उपरोक्त 04 छावनी बोर्ड स्कूलों के छात्रों के लिए तमिलनाडु पाठ्यपुस्तक और शैक्षिक सेवा निगम से रुपये 1,97,799/- की कुल लागत पर तीसरी अवधि की पाठ्य पुस्तकें खरीदने पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

(ब्रिग एसटीए रिजवी,वीएसएम)
राष्ट्रपति छावनी बोर्ड
सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम

(सी दिनेश कुमार रेड्डी)
सदस्य सचिव और
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
छावनी बोर्ड
सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम

दिनांक 31-12-2022